प्रकाशन हेतु अनुमोदित

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर
एम.पी. क्रमांक – 3451/1991

याचिकाकर्ता	शशिभूषण आत्मज श्री विनायक महापात्रा, उम्र लगभग 25 वर्ष, पेशा– पूर्व, कर संग्रहकर्ता (मोहरिर), साकिन– दंतेवाड़ा, पोस्ट ऑफिस दंतेवाड़ा, तहसील दंतेवाड़ा, जिला बस्तर, म.प्र.
	बनाम
उत्तरवादीगण	1. मध्य प्रदेश राज्य द्वारा सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, भोपाल

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका

उपरोक्त याचिकाकर्ता विनम्रतापूर्वक निम्नलिखित निवेदन करता है –

1. यह कि याचिकाकर्ता भारत का नागरिक है। उसे आदेश दिनांक 25.01.1990 द्वारा दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर कर संग्राहक (मोहरीर) के पद पर वेतनमान रु. 775–12–955–14–1025–15–1100–20–1200 में नियुक्त किया गया था।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 3451/1991

याचिकाकर्ता : शशिभूषण

बनाम

उत्तरवादीगण मध्य प्रदेश राज्य

(अब छत्तीसगढ़ राज्य) एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एकल न्यायपीठ : माननीय न्यायमूर्ति **सतीश के. अग्निहोत्री**

उपस्थित :

श्री प्रफुल्ल भारत, याचिकाकर्ता हेतु

श्री वी.वी.एस. मूर्ति, उप–महाधिवक्ता सहित श्री अरविंद दुबे, पैनल अधिवक्ता उत्तरवादी क्रमांक 1 और 5 हेतु

उत्तरवादी क्रमांक 2 से 4, 6 और 7 हेतु कोई नहीं

मौखिक आदेश

(4 जुलाई, 2006)

माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश द्वारा निम्नलिखित न्यायालयीन आदेश पारित किया गया —

1. यह याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत दायर की गई है, जिसमें आक्षेपित आदेश दिनांक 08.05.1991 (अनुलग्नक पी/13) द्वारा याचिकाकर्ता,

जो मोहरि़र के पद पर कार्यरत था, को गंभीर अवचार के आधार पर सेवा से पृथक कर दिया गया है।

2. संक्षेप में वाद की तथ्यात्मक स्थिति इस प्रकार है कि याचिकाकर्ता को आदेश दिनांक 25.01.1990 (अनुलग्नक पी/1) द्वारा दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर कर संग्राहक (मोहरि़र) के पद पर नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, उत्तरवादी क्रमांक 3, जो उस समय विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बेलाडीला, दंतेवाड़ा के अध्यक्ष थे, द्वारा याचिकाकर्ता के नाका (बैरियर) पर पदस्थापन स्थल का निरीक्षण किया गया, उस समय याचिकाकर्ता अनुपस्थित था। इस आधार पर याचिकाकर्ता को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 24.12.1990 (अनुलग्नक पी/2) जारी किया गया, जिसमें तीन सप्ताह की अवधि में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। याचिकाकर्ता द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 27.12.1990 (अनुलग्नक पी/3) प्रस्तुत कर स्पष्टीकरण दिया गया कि अचानक अस्वस्थता के कारण उसे कार्यस्थल छोड़ना पड़ा था तथा वह भविष्य में ऐसा आचरण नहीं दोहराएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. तत्पश्चात उत्तरवादी क्रमांक 3 के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा दिनांक 10.01.1991 को दूसरा कारण बताओ सूचना पत्र (अनुलग्नक पी/5) जारी किया गया कि याचिकाकर्ता को सेवा से निलंबित क्यों न किया जाए। याचिकाकर्ता द्वारा अपने अभ्यावेदन दिनांक 14.01.1991 (अनुलग्नक पी/6) में यह निवेदन किया गया कि अनुपस्थिति की तिथि को अवकाश माना जाए तथा उक्त आचरण हेतु क्षमा प्रदान की जाए। याचिकाकर्ता द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि उसने पूर्व में अवकाश हेतु आवेदन दिया था, जिसे अग्रेषित तो किया गया था परंतु अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका, अतः अनुपस्थिति जानबूझकर नहीं की गई थी।

4. याचिकाकर्ता को आदेश दिनांक 17.01.1991 के (अनुलग्नक पी/7) द्वारा सेवा से निलंबित कर दिया गया। याचिकाकर्ता के अनुसार, निवेदन पत्र दिनांक 06.04.1991, 09.04.1991 तथा 14.05.1991 (अनुलग्नक पी/8, पी/9 एवं पी/10) के माध्यम से अनुरोध किए जाने बावजूद उसे अभियोग–पत्र प्रदान नहीं किया गया। उत्तरवादीगण क्रमांक 2, 3 एवं 4 द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए आक्षेपित पदच्युति आदेश दिनांक 08.05.1991 (अनुलग्नक पी/13) पारित कर सेवा से पृथक कर दिया गया जिसमें यह उल्लेख किया गया कि विभागीय जांच में यह पाया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा जानबूझकर विभाग को क्षति पहुँचाने हेतु गंभीर अवचार किया गया है तथा याचिकाकर्ता परिवीक्षा अवधि में था, अतः सेवा समाप्त की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री प्रफुल्ल भारत द्वारा तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता की सेवा को जिस कथित अवचार के आधार पर समाप्त किया गया है, उसके संबंध में याचिकाकर्ता को न तो सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है एवं न ही अभियोग–पत्र प्रदान किया गया है, जबकि याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 06.04.1991, 09.04.1991 एवं 14.05.1991 को निवेदन प्रस्तुत किया गया था। विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि यह संविधान के अनुच्छेद 311(2) का उल्लंघन है, अतः पदच्युति आदेश अवैध, असंवैधानिक एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

6. इस याचिका में दिनांक 15.11.1991 को उत्तरवादीगण को नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस के पालन में उत्तरवादीगण उपस्थित हुए और उन्होंने जवाबदावा प्रस्तुत किया। इस दौरान, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के उन्मूलन पश्चात वाद शीर्षक में संशोधन हेतु एक आवेदन (अन्तर्ववर्ती आवेदन क्र. 4303/96) प्रस्तुत किया गया तथा आदेश दिनांक 06.05.1996 द्वारा उत्तरवादीगण में यथोचित संशोधन किया गया एवं

नवसंयोजित उत्तरवादीगण को आदेश दिनांक 21.09.1996 के अनुसार नोटिस जारी किया गया। उत्तरवादी क्रमांक 2 से 4 द्वारा दिनांक 19.10.1994 को अपना जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। उत्तरवादी क्रमांक 2 से 4 संपूर्ण प्रकरण के दौरान अनुपस्थित रहे हैं। दिनांक 28.06.2005 को उत्तरवादी क्रमांक 2, 3 एवं 4 को एस.पी.सी. जारी किया गया था किन्तु तामीली उपरांत भी उनके द्वारा कोई प्रतिनिधित्व प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. श्री वी.वी.एस. मूर्ति, विद्वान उप महाधिवक्ता सहित श्री अरविन्द दुबे, पैनल अधिवक्ता ने उत्तरवादी क्रमांक 1 एवं 5 की ओर से उपस्थित होकर याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिए हैं कि इस याचिका में प्रमुख पक्षकार उत्तरवादी क्रमांक 2 से 4 है।

8. मैंने उत्तरवादी क्रमांक 2 से 4 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा का अवलोकन किया। प्रथमतः जवाबदावा में यह कहा गया है कि याचिका को आनुकल्पिक उपाय उपलब्ध होने के आधार पर निरस्त किए जाने योग्य है। द्वितीयतः यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता को दिनांक 08.02.1991 को अभियोग–पत्र दिया गया था जिसे याचिकाकर्ता ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। जवाबदावा में यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति नियमों के अनुसार नहीं हुई थी क्योंकि पद को विज्ञापित नहीं किया था एवं अभ्यर्थियों को रोजगार कार्यालय द्वारा आमंत्रित नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए अन्य बिंदुओं पर उत्तरवादीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने जवाबदावा में प्रस्तुत किए गए तथ्यों के आधार पर तर्क दिया है कि यह आरोप कि याचिकाकर्ता ने अभियोग–पत्र स्वीकार करने से इनकार किया था, प्रथम दृष्टया असत्य है। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए कई अभ्यावेदनों का कभी जवाबदावा नहीं दिया गया और उसे कोई अभियोग–पत्र प्रदान नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया है कि यह तथ्य भी असत्य है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन किए बिना की गई थी।

याचिकाकर्ता की नियुक्ति विधिवत चयन प्रक्रिया के माध्यम से की गई थी। याचिकाकर्ता का साक्षात्कार संबंधित प्राधिकारी द्वारा लिया गया था और याचिकाकर्ता के साथ दो अन्य व्यक्तियों, श्री दोमर सिंह साहू एवं श्री राज नारायण सिंह, की भी नियुक्ति की गई थी, जो आज दिनांक तक कार्यरत हैं। यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता को कोई आनुकल्पिक उपाय उपलब्ध नहीं है क्योंकि मध्यप्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष तथा अधिकारी एवं सेवक भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1976 (संक्षेप में 'नियम 1976') के नियम 57 एवं 58 के अधीन अपील केवल नियमित कर्मचारियों द्वारा की जा सकती है, न कि परिवीक्षा अवधि में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा।

10. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता तथा उत्तरवादी क्रमांक 1 एवं 5 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए एवं उत्तरवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा के अवलोकन पश्चात यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध कथित अवचार की जांच एकपक्षीय रूप से की गई थी। यह भी स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को अभियोग–पत्र प्रदान नहीं किया गया था और न ही उसे प्राधिकरण के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान किया गया था। उक्त आक्षेपित सेवा समाप्ति आदेश केवल एक साधारण समाप्ति के आवरण में पारित किया गया है। उक्त आदेश दंडात्मक स्वरूप का है तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2) का उल्लंघन करता है, साथ ही यह प्राकृतिक न्याय एवं निष्पक्ष कार्यवाही के सिद्धांतों का भी उल्लंघन करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. उत्तरवादी क्रमांक 2 से 4 द्वारा याचिकाकर्ता की नियुक्ति के संबंध में जवाबदावा में किए गए कथनों के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि ऐसा कोई मामला प्रस्तुत नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता को इस आधार पर पदच्युत किया गया हो कि उसकी नियुक्ति विधिसम्मत नहीं थी, अतः इस प्रकरण में नियुक्ति की वैधता पर विचार करना आवश्यक नहीं है।

12. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **अपूर्व जयसवाल बनाम भारत सरकार एवं अन्य** जो कि (1984) 2 SCC 369 में प्रकाशित है, के कंडिका 12 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि —

> "12. यह अब पूर्णतः स्थापित हो चुका है कि जहाँ आदेश का रूप मात्र अवचार के आधार पर पदच्युति आदेश को छिपाने का माध्यम है, वहाँ न्यायालय के समक्ष जब आदेश को चुनौती दी जाती है, तब न्यायालय उस आदेश के वास्तविक स्वरूप की जांच कर सकता है। यदि न्यायालय यह पाता है कि यद्यपि आदेश का बाह्य रूप साधारण सेवा समाप्ति का है, किंतु वस्तुतः यह दंड स्वरूप सेवा समाप्ति है, तो न्यायालय, केवल आदेश के कारणस्वरूप, कर्मचारी पर विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रभावी करने से वंचित नहीं होगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. उच्चतम न्यायालय द्वारा **चंद्र प्रकाश शाही बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य** जो कि (2000) 5 SCC 152 में प्रकाशित है, के कंडिका 12 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि—

> "12. अब यह सुस्थापित है कि अस्थायी शासकीय सेवक या परिवीक्षाधीन सेवक, स्थायी सेवकों की भांति संविधान के अनुच्छेद 311(2) के संरक्षण के अधिकारी होते हैं, यद्यपि अस्थायी सेवकों को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं होता है और उनकी सेवा कभी भी बिना कारण बताए एक माह की पूर्व सूचना देकर समाप्त की जा सकती है, चाहे सेवा अनुबंध की शर्तों के अधीन हो या संबंधित वैधानिक नियमों के अंतर्गत। अतः न्यायालय एक साधारण शब्दों में लिखे गए आदेश की आड़ हटाकर उसके वास्तविक स्वरूप की समीक्षा कर सकता है और यह जांच कर सकता है कि क्या वह आदेश वास्तव में उतना ही सरल है जितना कि उसके शब्दों से प्रतीत होता है। (देखें : परषोत्तम लाल ढींगरा बनाम भारत

संघ)। इस निर्णय में यह स्पष्ट किया गया कि किसी अस्थायी कर्मचारी की सेवाएं समाप्त करने के लिए अनुबंध की शर्तों अथवा सेवा की शर्तों एवं नियमों को विनियमित करने वाले वैधानिक सेवा नियमों के अंतर्गत अकुशलता, लापरवाही या अवचार जैसे कारक सरकार को प्रेरित कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, ये कारक सेवाएं समाप्त करने के हेतुक हो सकते हैं किंतु केवल हेतुक के आधार पर कोई आदेश दंडात्मक नहीं हो जाता, जब तक कि वह आदेश उन कारकों अथवा अन्य अयोग्यताओं पर "आधारित" न हो।"

14. उच्चतम न्यायालय द्वारा **पवनेन्द्र नारायण वर्मा बनाम संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान एवं अन्य**, जो कि (2002) 1 SCC 520 में प्रकाशित है, के कंडिका 21 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि —

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"21. सेवा समाप्ति के आदेश के दंडात्मक स्वरूप को निर्धारित करने हेतु न्यायिक रूप से विकसित एक परीक्षण यह है कि क्या सेवा समाप्ति से पूर्व (क) पूर्णतः औपचारिक जांच (ख) नैतिक अधमता और अवचार से जुड़े आरोपों की (ग) जिसके परिणामस्वरूप दोष का पता चला – इन तीनों तत्वों की उपस्थिति रही है। यदि तीनों कारक मौजूद हैं तो समाप्ति को दंडात्मक माना गया है, चाहे समाप्ति आदेश का स्वरूप कुछ भी हो। इसके विपरीत यदि तीनों कारकों में से कोई एक भी मौजूद नहीं है तो समाप्ति को बरकरार रखा गया है।"

15. उच्चतम न्यायालय द्वारा **पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम सुखविंदर सिंह**, जो कि (2005) 5 SCC 569 में प्रकाशित है, के कंडिका 19 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि —

"19. यह सदैव ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कोई भी कर्मचारी, चाहे वह परिवीक्षाधीन हो या अस्थायी, उसे मनमाने ढंग से, बिना किसी तर्कसंगत कारण के सेवा से पृथक नहीं किया जा सकता है। जब कोई उच्चाधिकारी यह जानने के

उद्देश्य से कि क्या संबंधित कर्मचारी को सेवा में बनाए रखा जाए या नहीं, जांच करता है, तो यह कहना गलत होगा कि की गई जांच वास्तव में दंडात्मक कार्यवाही करने के उद्देश्य से की गई थी। यदि प्रत्येक मामले में, जहाँ किसी प्रकार का तथ्यान्वेषण किया गया हो, चाहे उसमें कर्मचारी को स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया गया हो या वह जांच कर्मचारी की अनुपस्थिति में की गई हो, यह माना जायेगा कि सेवा से पृथक्करण या समाप्ति का आदेश दंडात्मक प्रकृति का है और ऐसी स्थिति में उच्चाधिकारी द्वारा यह सद्भावनापूर्ण प्रयास कि संबंधित कर्मचारी को सेवा में बनाए रखा जाए या नहीं, भी दंडात्मक आदेश कहे जाने के जोखिम में आएगा... ... "

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम बलबीर सिंह**, जो कि (2004) 11 SCC 743 में प्रकाशित है, के कंडिका 7 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि —

"7. अतः यह सिद्धांत है कि यह निर्धारित करने के लिए कि किसी सेवा समाप्ति आदेश का आधार अवचार है या वह उसका हेतुक मात्र है, जो परीक्षण अपनाया जाना चाहिए, वह यह है कि 'जांच का उद्देश्य क्या था।' यदि किसी कर्मचारी के अवचार का पता लगाने के उद्देश्य से जांच या मूल्यांकन किया गया हो और उसी आधार पर उसकी सेवाएं समाप्त की गई हो तो ऐसी सेवा समाप्ति दंडात्मक प्रकृति की होगी। दूसरी ओर, यदि जांच या मूल्यांकन का उद्देश्य किसी कर्मचारी की किसी विशेष पद हेतु उपयुक्तता निर्धारित करना मात्र हो, तो ऐसी सेवा समाप्ति साधारण सेवा समाप्ति मानी जाएगी, न कि दंडात्मक। यह सिद्धांत न्यायमूर्ति शाह (जब वे उस समय न्यायाधीश थे) द्वारा सन् 1961 में उड़ीसा राज्य बनाम राम नारायण दास[7] के मामले में प्रतिपादित किया गया था जिसमें यह अभिनिर्धारित

किया गया था कि किसी सेवा समाप्ति को केवल इस आधार पर दंडात्मक नहीं माना जा सकता कि उससे पहले कोई जांच हुई थी, बल्कि यह देखा जाना चाहिए कि "जांच का उद्देश्य या प्रयोजन" क्या था। यह कि सेवा समाप्ति का आदेश पदच्युति आदेश के समान है या नहीं, इस बात पर निर्भर करता है कि जांच की प्रकृति क्या थी, यदि कोई जांच हुई हो, उस जांच की कार्यवाही क्या थी और उस जांच के आधार पर पारित अंतिम आदेश का तत्त्व क्या था... "

17. आनुकल्पिक उपाय की उपलब्धता के संदर्भ में, नियम 1976 के नियम 57 एवं 58 के प्रावधानों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि कोई आनुकल्पिक उपाय उपलब्ध नहीं है। तथापि, वाद की परिस्थितियों एवं तथ्यों के दृष्टिकोण में, यदि याचिकाकर्ता को 15 वर्षों के उपरांत इस चरण में आनुकल्पिक उपाय अपनाने के लिए विवश किया जाता है, तो यह न्यायहित में नहीं होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. उपर्युक्त कारणों एवं विश्लेषण के आलोक में, दिनांक 08.05.1991 का आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी/13) निरस्त किया जाना न्यायोचित होगा। जहां तक बकाया वेतन प्रदान करने का प्रश्न है, याचिकाकर्ता द्वारा लाभकारी सेवा में होने के संबंध में कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है। पदच्युति आदेश एवं इस न्यायिक आदेश के पारित होने के मध्य लगभग 15 वर्षों की अवधि जिस दौरान मामला न्यायालय में लंबित रहा, तथा संबंधित उत्तरदातगण की वित्तीय स्थिति के दृष्टिकोण में, पूर्ण बकाया वेतन प्रदान किया जाना उचित नहीं होगा। इस न्यायालय का अभिमत है कि न्यायहित में 30% बकाया वेतन देना पर्याप्त होगा।

19. उपर्युक्त कारणों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न प्रकरणों में प्रतिपादित विधिक सिद्धांतों के आधार पर, यह याचिका स्वीकार की जाती है। उत्तरदातगण को निर्देशित किया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को सेवा में पुनः स्थापित करें तथा 30%

बकाया वेतन का भुगतान करें। याचिकाकर्ता को समस्त पारिणामिक लाभ जैसे कि वरिष्ठता इत्यादि, काल्पनिक आधार पर प्राप्त होंगे। वाद की समस्त परिस्थितियों के दृष्टिकोण में व्यय हेतु कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

हस्ताक्षरित
(सतीश के. अग्निहोत्री)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा एवं कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated by Anusha Naik, Advocate